राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 6(12)शिक्षा / ग्रुप–3 / 2019 जयपुर, दिनांकः 21 AUG 2019

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 2019–20 के बिन्दु संख्या 238.00.00 की क्रियान्विति हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. वर्तमान में संचालित किशनगढ़ बास (अलवर) में स्थित राजकीय महाविद्यालय, बासकृपाल नगर में कृषि संकाय खोले जाने हेतु विभागीय बजट मद 2202–03–103–02–00 राजकीय महाविद्यालय (पुरूषों के लिए)–राज्य निधि में निम्नानुसार नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	नवीन पद	पद
1	सहायक आचार्य	3
2	प्रयोगशाला सहायक	3
3	प्रयोगशाला वाहक	1
	योग	**7**

उक्त के क्रम में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को यह भी परामर्श प्रदान किया जाता है कि कृषि संकाय हेतु आगामी शैक्षणिक वर्ष हेतु आवश्यकतानुसार पदों की मांग बीएफसी के यथासमय की जावे।

2. उक्त नवीन पदों के सृजन के स्वरूप आवृत्तक एवं अनावृत्तक व्यय हेतु वित्तीय प्रावधान स्वीकृति के प्रस्ताव के संबंध में नवीन पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के आयुक्तालय के बजट मद में उपलब्ध प्रावधान से कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु आवश्यक राशि का आंकलन कर प्रस्ताव बीएफसी वर्ष 2020–21 एवं संशोधित अनुमान 2019–20 के यथा समय वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 101903963 दिनांक 21.08.2019 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd

(रामस्वरूप चौहान)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को मय उनकी पत्रावली क्रमांक एफ 20(101)(11)आयो / आकाशि / 2019–20 मय नोटशीट के।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांक :एफ 20 (101/02)/आयो/आकाशि/19–20/ 782 दिनांक: 22 अगस्त,2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
2 सयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3 विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 सयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
6 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
7 सयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग,राजस्थान,जयपुर।
8 सयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर।
9 कुलसचिव,एस.के.एनकृषि विश्वविद्यालय,जोबनेर भेज कर लेख है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा की अनुपालना में खोले गये महाविद्यालय की सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क जारी करवाने का कष्ट करें।
10 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
11 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर।
12 संयुक्त निदेशक एच.आर.डी/प्रशासन कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजकीय महाविद्यालय,बासकृपालनगर (अलवर) में स्वीकृत पदो को भरने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
13 संयुक्त निदेशक (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर को भेजकर लेख है कि राजकीय महाविद्यालय,बासकृपालनगर (अलवर) में प्रवेश संबधित कार्य सम्पन्न करवाने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
14 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,बासकृपालनगर (अलवर)।
15 वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा विभाग राज.
जयपुर